

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर  
 नाम पीठासीन अधिकारी: श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
 प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. डालूराम पुत्र सोनाराम जाति  
 कुम्हार निवासी बीबड़ा तहसील  
 एवं जिला बाड़मेर

1 जोगाराम पुत्र बगताराम 2 खेगाराम पुत्र  
 बगताराम 3 खरथाराम पुत्र बगताराम 4 नरपताराम  
 पुत्र बगताराम 5 हरखूदेवी पत्नी बगताराम 6  
 कलूदेवी पत्नी प्रतावाराम 7 मांगीलाल पुत्र  
 प्रतावाराम 8 तेजाराम पुत्र प्रतावाराम 9 देवाराम  
 पुत्र प्रतावाराम नावालिग जरिये कुदरती बलिया  
 माता कलूदेवी विप्रार्थी संख्या 6 जातियान कुम्हार  
 निवासीयान बीबड़ा तहसील एवं जिला बाड़मेर 10  
 गजाराम पुत्र सुरताराम 11 दलाराम पुत्र  
 सुरताराम 12 बाबूराम पुत्र सुरताराम 13 नेनाराम  
 पुत्र सुरताराम 14 नवलाराम पुत्र सुरताराम 15  
 नरपताराम पुत्र सुरताराम 16 जगनादेवी पत्नी  
 सुरताराम 17 बुधराराम पुत्र खेगाराम 18 राताराम  
 पुत्र खेगाराम 19 केरी पत्नी खेगाराम जातियान  
 जाट निवासीयान अराडा की बेशी तहसील एवं  
 जिला बाड़मेर 20 रायखर्वा पुत्र कायम जाति  
 मुरालयान निवासी देसरार तहसील रामसर जिला  
 बाड़मेर 21 मूली पुत्री सोनाराम जाति जाट  
 निवासी करना भूका तहसील शिणघरी जिला  
 बाड़मेर 22 गैरो पुत्री सोनाराम जाति जाट  
 निवासी शौमाला जेतमाल तहसील चौहटन जिला  
 बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
 राजस्व आवेदन संख्या-11/2022 दिनांक-17.02.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा बीबड़ा पटवार हल्का बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा  
 नंबर 117/49 रकबा 37.13 बीघा, 150/31 रकबा 18.00 बीघा, 152/27 रकबा 04.11 बीघा  
 खसरा नंबर 153/7 रकबा 0.01 बीघा, 159/6 रकबा 43.16 बीघा कुल रकबा 105 बीघा के चारो  
 तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त  
 किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र  
 सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व  
 पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के गदेगजर) कर  
 पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार  
 पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)


उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 17/02/2022

क्रमांक/रीडर/2022/29-32

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को गय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर  
 नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी डालूराम पुत्र सोनाराम जाति कुम्हार निवासी बीबड़ा तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी 1 जोगाराम पुत्र बगताराम 2 खेगाराम पुत्र बगताराम 3 खरथाराम पुत्र बगताराम 4 नरपताराम  
 पुत्र बगताराम 5 हरखूदेवी पत्नी बगताराम 6 कलूदेवी पत्नी प्रतावाराम 7 मांगीलाल पुत्र प्रतावाराम 8  
 तेजाराम पुत्र प्रतावाराम 9 देवाराम पुत्र प्रतावाराम नावालिग जरिये कुदरती बलिया माता कलूदेवी  
 विप्रार्थी संख्या 6 जातियान कुम्हार निवासीयान बीबड़ा तहसील एवं जिला बाड़मेर 10 गजाराम पुत्र  
 सुरताराम 11 दलाराम पुत्र सुरताराम 12 बाबूराम पुत्र सुरताराम 13 नेनाराम पुत्र सुरताराम 14  
 नवलाराम पुत्र सुरताराम 15 नरपताराम पुत्र सुरताराम 16 जगनादेवी पत्नी सुरताराम 17 बुधराराम पुत्र  
 खेगाराम 18 राताराम पुत्र खेगाराम 19 केरी पत्नी खेगाराम जातियान जाट निवासीयान अराडा की बेशी  
 तहसील एवं जिला बाड़मेर 20 रायखर्वा पुत्र कायम जाति मुरालयान निवासी देसरार तहसील रामसर  
 जिला बाड़मेर 21 मूली पुत्री सोनाराम जाति जाट निवासी करना भूका तहसील शिणघरी जिला बाड़मेर  
 22 गैरो पुत्री सोनाराम जाति जाट निवासी शौमाला जेतमाल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर



1/31/2022

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर